

**उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग
पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण (अन्तिम चरण) ऑनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों
के लिए महत्वपूर्ण निर्देश**

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/ एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015 की मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जाएगा। बी0एस0सी0 नर्सिंग, एम0एस0सी0 नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संबंधित अभ्यर्थी उसी पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करेगा, जिस लिखित परीक्षा में वह सम्मिलित हुआ हो।

1. उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया **online** माध्यम से सम्पन्न कराई जायेगी। काउन्सिलिंग की प्रक्रिया, तिथियाँ, समय एवं काउन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड की जा रही हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी।
2. उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शासन द्वारा इस हेतु गठित काउन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग के माध्यम से संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
3. द्वितीय चरण के माध्यम से ली गई अभ्यर्थियों की **अन्तिम च्वाइस** होगी। उसके उपरान्त अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार च्वाइस नहीं ली जायेगी।
4. राजकीय नर्सिंग कालेजों/संस्थानों में द्वितीय चरण के सीट आवंटन के उपरान्त सीटें रिक्त रहने की दशा में द्वितीय चरण की **प्रतीक्षा सूची के आधार** पर सीटों को भरा जायेगा।
5. मात्र उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015 में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का नर्सिंग कॉलेजों की राज्य कोटें की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं, आरक्षण के नियमों एवं काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
6. उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित समय-सीमा में **Online काउन्सिलिंग धनराशि रूपया 500/- (रूपया पांच सौ मात्र) Online (through ATM Card/Credit Card/Debit Card/Net Banking) माध्यम से पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में Online काउन्सिलिंग धनराशि जमा की जा चुकी है, उन्हें पुनः धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।** पंजीकृत अभ्यर्थी ही काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जायेंगे। पंजीकरण शुल्क **Non-Refundable** होगा। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। **एक बार जमा किया गया पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।**
7. काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा एक बार सीट आवंटित होने के उपरान्त, आवंटित सीट को उस काउन्सिलिंग चरण विशेष में बदला नहीं जाएगा।
8. अभ्यर्थी को सभी संस्थानों में संस्थान बदलने की सुविधा प्रवेश की अन्तिम तिथि तक अनुमन्य होगी।
9. उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015 के माध्यम से काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थाई होंगे तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड/उत्तराखण्ड शासन के पास सुरक्षित होगा।

10. काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचनाएँ समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में भी प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
11. सीट आवंटन हेतु मुख्यतः दो चरणों (प्रथम एवं द्वितीय चरण) में ही काउंसिलिंग करायी जाएगी। इसके उपरान्त भी राजकीय नर्सिंग कालेजों/संस्थानों की सीटें रिक्त रहने की दशा में द्वितीय चरण में पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की प्रतिक्षा सूची के आधार पर आई0एन0सी0 द्वारा निर्धारित समय-सारणी एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सम्यक निर्णय लेकर प्रश्नगत राजकीय नर्सिंग कालेजों/संस्थानों में प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि से पूर्व यथासम्भव सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
12. **एक बार पूर्व आवंटित सीट को परिवर्तित (seat upgradation) कर यदि अभ्यर्थी को द्वितीय काउंसिलिंग की सीटों में काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान/पाठ्यक्रम की सीट आवंटित कर दी जाती है तो उसका पूर्व में आवंटित सीट पर अधिकार तत्काल समाप्त हो जाएगा** तथा उस रिक्त सीट को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा मेरिट के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटन कर दिया जाएगा। **अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीट परिवर्तन करने से पूर्व विचार कर लें तथा वर्तमान में आवंटित सीट से उच्च या ज्यादा रुचि वाली सीट को ही choice में भरें।**
13. अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वे काउंसिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध सीटों के आधार पर अपनी च्वाइस अनिवार्य रूप से दर्ज (Lock) करानी होगी। द्वितीय चरण की च्वाइस के आधार पर तैयार की जाने वाली प्रतिक्षा सूची के आधार पर निर्धारित अन्तिम तिथि तक सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
14. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि काउंसिलिंग चरणवार कालेजवार/पाठ्यक्रमवार उपलब्ध सीटों की संख्या एवं अन्य विवरण भली-भांति देखकर अपनी च्वाइस लॉक करायें। **एक बार च्वाइस लॉक हो जाने के उपरान्त उस चरण की काउंसिलिंग में किसी भी अभ्यर्थी की च्वाइस में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।** अभ्यर्थी भरी गई च्वाइस का प्रिंट आउट अपने पास अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें।
15. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम अथवा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015 में उनकी मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा किसी संस्थान में सीट आवंटित हुयी हो तथा वे आगामी काउंसिलिंग/प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होकर उक्त आवंटित संस्थान को बदलना चाहते हो, तो उन्हें इसकी अनुमति होगी। परन्तु उक्त सीट आवंटन की कार्यवाही केवल अभ्यर्थी की उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015 की मेरिट एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही की जाएगी।
16. एक बार पूर्व आवंटित सीट को परिवर्तित कर यदि अभ्यर्थी को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान की सीट आवंटित कर दी जाती है तो उसका पूर्व में आवंटित सीट पर अधिकार तत्काल समाप्त हो जाएगा तथा उस रिक्त सीट को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा मेरिट के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को आवंटन कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीट परिवर्तन करने से पूर्व विचार कर लें।
17. अभ्यर्थी को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसिलिंग/प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में आवंटित हुई सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
18. **यदि कोई अभ्यर्थी सीट आवंटन के पश्चात आवंटित पाठ्यक्रम/संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश नहीं लेता है तो उसे आगामी काउंसिलिंग/प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे, उन्हें सीट आवंटन होने से पूर्व ध्यानपूर्वक सोच विचार कर लें।**
19. अभ्यर्थी को काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन के उपरान्त समस्त वांछित मूल दस्तावेज/अभिलेख ऑनलाईन माध्यम से डाउनलोड किये गये सीट आवंटन पत्र की प्रति सहित संबंधित कालेज के प्राचार्य अथवा नामित प्रतिनिधि के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग/ एम0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2015

द्वितीय चरण (अन्तिम चरण) ऑनलाईन काउन्सिलिंग हेतु

अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेख

मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित समय-सीमान्तर्गत ऑनलाईन काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए (पाठ्यक्रमवार/कालेजवार च्वाइस सहित) निम्नलिखित मूल अभिलेखों की स्वः सत्यापित प्रति PDF format में अपलोड करनी होगी :-

1. हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका।
2. इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका।
3. मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल से अर्हता परीक्षा जी0एन0एम0 उत्तीर्ण होने की अंक तालिका (मात्र पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग अभ्यर्थियों हेतु)
4. बी0एस0सी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग परीक्षा अथवा बी0एस0सी0 नर्सिंग/ बी0एस0सी0 (ओनर्स) नर्सिंग/ पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकतालिका (मात्र एम0एस0सी0 नर्सिंग अभ्यर्थियों हेतु)
5. बी0एस0सी0 नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् 01 वर्ष का कार्य अनुभव (मात्र एम0एस0सी0 नर्सिंग अभ्यर्थियों हेतु)
6. श्रेणी प्रमाण-पत्र (यदि सामान्य श्रेणी के न हों)
7. उप-श्रेणी प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो तो)
8. उत्तराखण्ड के स्थाई/मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र। (यदि आवश्यक हो तो)
9. निर्धारित पंजीकरण शुल्क (Online के माध्यम से)
10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड में नियमित रूप से कार्यरत रहने का सक्षम प्राधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र (यदि कोई है तो)
11. अन्य सम्बन्धित मूल (अभिलेख यदि कोई है तो)।

- नोट :-
1. किसी प्रकार की Undertaking या Affidavit मान्य नहीं होगा।
 2. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र दिनांक 06.10.2015 की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए
 3. PH श्रेणी में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून के अधीन गठित उत्तराखण्ड नर्सिंग मेडिकल बोर्ड-2015 के माध्यम से निर्गत प्रमाण पत्र ही वैध होगा।
 4. उत्तराखण्ड के निवासी सेवारत सैनिकों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों के लिए के लिए निर्धारित उपश्रेणी (DPW - 5%) में ITBP/CRPF/Assam Rifle/ BSF/CISF/GREF/SSB तथा अन्य Paramilitary Forces को उक्त श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- अभ्यर्थी को शुल्क तथा अन्य विवरण जैसे परीक्षा शुल्क, होस्टल फीस इत्यादि संबंधित विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर प्रदर्शित किया जा चुका है। उपरोक्त विषय मे उत्तराखण्ड सरकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। अभ्यर्थी सीट आवंटन के अनुसार इस संबंध में संबंधित कालेजों के प्राचार्यों से सम्पर्क स्थापित करें।

प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम काउन्सिलिंग में उसे काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ना चाहता है। तो उसे द्वितीय काउन्सिलिंग से पूर्व सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से इसकी सूचना काउन्सिलिंग बोर्ड को देनी होगी। इस दशा में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रु0 1000/- मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि सम्बन्धित संस्थान द्वारा

वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी।

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम /द्वितीय चरण की कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतियोगिता सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त नियमानुसार पाठ्यक्रम/संस्थान परिवर्तित कर पूर्व आवंटित संस्थान में सीट छोड़कर निर्धारित तिथि के अन्दर दूसरे आवंटित संस्थान में प्रवेश ले लेता है। तो इस दशा में ही उसे पूर्व आवंटित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि ₹0 1000/- मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि सम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा सीट परिवर्तित करने के उपरान्त निर्धारित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी द्वितीय कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतियोगिता सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ता है। तो इस दशा में उसके द्वारा रिक्त की गयी सीट के विरुद्ध किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा सीट भरे जाने की स्थिति में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि ₹0 1000/- मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि सम्बन्धित संस्थान से वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। अन्यथा की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।